

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाडी जिला धौलपुर (राज०)
श्री जी०एल० मीना (R.A.S.)

1. सोबरनसिंह पुत्र रंजनसिंह
2. पप्पू उर्फ कुम्हेरसिंह पुत्र रंजनसिंह
3. अमरसिंह पुत्र उदयसिंह
4. सुमन पुत्री उदयसिंह
5. ऊषादेवी पत्नी मानसिंह
6. जीवनसिंह पुत्र मानसिंह
7. जागीरसिंह पुत्र मानसिंह
8. मोनी उर्फ मोहिनी पुत्री मानसिंह

जातिगण ठाकुर निवासीगण मौहल्ला
ठाकुरपाडा कस्वा बाडी तह० बाडी

बनाम

1. रामवीर उर्फ सिन्धी पुत्र सरदारसिंह निवासी मौहल्ला ठाकुरपाडा कस्वा बाडी तह० बाडी
 2. रामजीलाल पुत्र गोकुलसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम पवेसुरा तह० बाडी
 3. भगवानसिंह
 4. पूरनसिंह
 5. लालसिंह
 6. भईयनसिंह
 7. बजरंगसिंह
 8. कल्यानसिंह
 9. गोविन्दसिंह
 10. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बाडी लैण्डहोल्डर दावा दावत
- पुत्रगण पोथीसिंह जातिगण ठाकुर निवासीगण ठाकुरपाडा कस्वा बाडी तह० बाडी हाल आबाद घण्टाघर के पास मानपाल कालोनी कस्वा धौलपुर तह० धौलपुर
- पुत्रगण स्व० बलवन्तसिंह जातिगण ठाकुर निवासीगण ठाकुरपाडा कस्वा बाडी तह० बाडी हाल आबाद घण्टाघर के पास मानपाल कालोनी कस्वा धौलपुर तह० धौलपुर

मुकदमा नं. 56/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वयं

व हाजरी श्री जे०पी० गर्ग एड० मिनजानिव मुद्दई श्री रूपसिंह किलेदार एड०

मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादीगण बरूरे राजीनामा डिकी किया जाकर विवादित आराजी ख०नं० 2946/1-14 बांके कस्वा बाडी नं० 3 तह० बाडी में प्रति० को पाबन्द किया जाता कि वे वादीगण व तरतीवी प्रति० की खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें। ना ही काश्त करने से रोकें। ना जबरन कब्जा करें और ना प्रति० सं० 1 व 2 विवादित आराजी को कहीं रहन वय मुन्तकिल ही करें। ना ही प्रति० सं० 1 व 2 अनाधिकृत अवैध व शून्य विकयपत्रों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज ही करावें। ना ही प्रति० सं० 1 व 2 व उनके मौजूदा व आयन्दा होने वाले वारिसान विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार रखेंगे। प्रति० का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है। मुकदमा फरीकेन अपना अपना वहन करें। राजीनामा डिकी का जुज रहेगा।

नीज मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक को अदा करें।
वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 10 साल 2017 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज०